स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

परिपत्र संख्या 65

संख्या एसटीसी/सचि./93/89 दिनांक 23.8.89

अध्यक्ष की शक्तियों का प्रत्यायोजन

एसटीसी बोर्ड ने 7.8.89 को हुई अपनी 425वीं बैठक में वर्तमान शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन करते हुए एसटीसी के अध्यक्ष के लिए निम्नलिखित शक्तियों के प्रत्यायोजन का अनुमोदन किया है –

1. कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों और अन्य सांविधिक अपेक्षाओं, कार्पोरेशन की एसोसिएशन के ज्ञापन और अनुच्छेद, सरकारी नीतियों/निर्देशों, समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के अधीन अध्यक्ष कार्पोरेशन के दैनिक कार्यों के संचालन के लिए निम्नलिखित को छोड़कर निदेशक मंडल को दी गयी सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे -

(1) कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन ।

(2) *** मुख्य महा प्रबंधक और इससे ऊपर के पदों के मामले में पदों का सृजन और भर्ती नियमों का निर्माण ।

(3) 2 साल से अधिक समय के लिए अध्ययन अवकाश / विशेष अपंगता अवकाश प्रदान करना ।

(4) ** कर्मचारियों की सेवा में 58 वर्ष के पार सेवाविस्तार या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 58 वर्ष के बाद पुन: तैनात करना ।

(5) एसोसिएट / हैंडलिंग एजेंटों / ट्रांसपोर्ट एजेंटों को किसी एक समय बगैर सुरक्षा के रूपए 50 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता और किसी समय सुरक्षा जमा सहित रूपए 15 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता या जहाँ पर इस प्रकार की बकाया वित्तीय सहायता की कुल राशि किसी समय रूपए 75 करोड़ से अधिक है, वित्तीय सहायता प्रदान करना * ।

---

* बोर्ड के निर्णय दिनांक 22.2.1996 (470वीं बैठक) के अनुसार 5 करोड़ से 15 करोड़ और 50 करोड़ से 75 करोड़ के रूप में बढ़ाई गयी ।

** एसटीसी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 29.5.1998 से 60 वर्ष के रूप में संशोधित की गयी ।

*** परिपत्र संख्या 172 दिनांक 4.7.2000 द्वारा संशोधित की गयी ।

(6) कार्यालय / आवासीय भवन कालोनी में निर्माण/परिवर्तन/ बढ़ोतरी हेतु किसी समय रूपए 50 लाख की अधिकता में पूंजीगत खर्चों की मंजूरी ।

(7) व्यापारिक हानियों के मामले में किसी समय रूपए 1 करोड़ की अधिकता में और अन्य हानियों के मामले में किसी समय में रूपए 5 लाख की अधिकता में हानियों को बट्टे खाते में डालना ।

(8) सरकारी प्रतिभूतियों / बैंकों / वित्तीय संस्थानों / यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया / सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों / कार्पोरेशंस/ सांविधिक कार्पोरेशंस को छोड़कर या जहाँ पर इस प्रकार का निवेश किसी समय रूपए 700 करोड़ से किसी समय अधिक है, उनमें अधिशेष निधियों का निवेश ।

(9) सरकारी / बैकों / वित्तीय संस्थानों / यूनिट ट्रस्ट / सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों आदि से राशि उधार लेना ।

(10) उन मामलों में जहाँ पर खरीद अध्यक्ष द्वारा सही प्रकार से बनाई गयी एक समिति के माध्यम से नहीं की जाती है, रूपए 10 करोड़ से अधिक की खरीद ।

2. उपर्युक्त के बावजूद अध्यक्ष रेटिफिकेशन हेतु निम्नलिखित बैठकों में बोर्ड को रिपोर्ट करने के अधीन प्रचालन आवश्यकता / आपातकाल के मामले में क्रम संख्या (1 से 10) तक सूचीबद्ध किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है ।

3. उपर्युक्त शक्तियों में उसके द्वारा समय-समय पर बनाई गयी समितियों सहित उसके अधीन कार्यरत अधिकारियों को उसकी किसी शक्ति को उप प्रत्यायोजित करने की शक्ति सहित ये शक्तियाँ शामिल होंगी ।

सभी संबंधितों को सूचनार्थ और मार्गनिर्देश हेतु परिचारित किया गया ।

हस्ताक्षर

(एन . एम . सैम्यूल)
कम्पनी सचिव
23.8.89

सभी संबंधित

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(बोर्ड सचिवालय एवं संसद प्रभाग)

संख्या एसटीसी/सचि./45/95 दिनांक 23.2.95

परिपत्र संख्या 117

विषय – व्यापार एवं व्यवसाय मामलों के संदर्भ में संशोधित शक्तियों का प्रत्यायोजन

व्यापार एवं व्यवसाय मामलों के संदर्भ में शक्तियों के प्रत्यायोजन की संशोधित अनुसूचियॉ जो 1 मार्च, 1995 से प्रभावी हैं और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सही प्रकार से अनुमदित हैं, एतदद्वारा सभी संबंधितों के मार्गनिर्देश हेतु परिचालित की जाती हैंः-

- अनुसूची ए(1) – कार्पोरेट कार्यालय पर लागू
- अनुसूची ए(2) – क्षेत्र / शाखाओं पर लागू

ये संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूचियॉ व्यापार एवं व्यवसाय मामलों और असरणीबद्ध निर्यातों के संदर्भ में डीओपी की अनुसूचियॉ ए और ए 1 अनुसूचियों के अतिक्रमण में होंगी ।

संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन की कार्यशक्ति की सितम्बर, 1995 के अंत में समीक्षा की जाएगी ।

सभी संबंधितों को परिचारित ।

हस्ताक्षर

(एन . एम . सैम्यूल)
महा प्रबंधक एवं कम्पनी सचिव

सभी संबंधित